

भारतीय धर्म और दर्शन में गाँधी जी के आर्थिक विचार

Karamvir Singh*

Extension Lecturer, Department of Political Science, S.M.S.D. Government College, Nangal Chaudhary

सार - गांधी जी ने आर्थिक अवधारणा का वर्णन करते हुए सार्वजनिक रूप से घोषित किया कि “यह अवधारणा धर्म और दर्शन से बन्धी हुई है। भारतीय धर्म और दर्शन में संरक्षकता के विचार माना गया है। प्राचीन भारतीय राजा वास्तविक रूप से गरीबों की आर्थिक रूप से सहायता करते थे। राजा रामचन्द्र दयालुता की एक मिशाल थे। उनके रामराज्य में सभी समान थे। सभी के लिए यह मूल्यावान और जरूरी था। बल्कि राम जब जवान थे तब उनके पिता जी ने दानवाँ को दण्ड देने के लिए भेजा गया। जो देवताओं और महात्माओं को परेशान कर रहे थे। तब राम ने दानव को मारकर उन सब की रक्षा की थी।

-----X-----

महाभारत में भगवान् कृष्ण ने अपने बचपन के दोस्त सुदामा की उसको बिना बताए हुए गरीबी को दूर करके उसकी सहायता की थी। कर्ण ने अपने आपको दानवीर सिद्ध किया उसने अपने प्राणों की रक्षा भी न करते हुए अपने गुरु को दाएं हाथ का अंगूठा शिष्य की भिक्षा के रूप में दान में दिया तथा बाद में भगवान् इन्द्र ने उनके कवच और कुण्डल दान में मांग लिए थे। इस प्रकार महाकाव्य के अध्ययन ने गांधी जी को गरीबों को दान तथा असहाय लोगों की सहायता के प्रति गहन आस्था उत्पन्न की। वे वेदों से बहुत लगाव रखते थे। जो कि दर्शन शास्त्र का आधार है कि प्रत्येक की व्यक्तिगत आत्मा एक सार्वभौमिक सर्वोच्च आत्मा से जुड़ी हुई है। गांधी जी भगवद्गीता के प्रति बहुत आकर्षित हुए जिसमें भगवान् कृष्ण ने निजी सम्पत्ति को भगवान् के प्रति समर्पण के विचार दिए।

गीता गांधी जी की कामधेनु है। उन्होंने इसे अपनी माँ समझा है। अपनी आत्म-कथा में गांधी जी ने लिखा है कि मेरे लिए गीता एक आचरण का पथ प्रदर्शक हो गई है। यह मेरे रोजाना के कार्यों का कोष हो गई है। जब मेरे पर सन्देह हावी हो जाता है और जब निराशा मुझे घेर लेती है और क्षतिज में मुझे एक आशा की किरण दिखाई नहीं देती तो मैं भगवद्गीता की शरण में जाता हूँ ताकि मुसीबतों और परेशानियों का समाधान मिल सके।¹⁷

गांधी जी के लिए गीता आत्म-जागृति का विज्ञान है। वह कहता है गीता का उद्देश्य मुझे आत्म-जागृति के लिए सबसे अच्छा

रास्ता दिखाई देता है। यह सभी कार्यों से सन्यास लेने की बात नहीं कहती। गीता से प्रभावित होकर व्यावहारिक तौर पर त्याग को इस अंधविश्वासी और अवफादारी के वातावरण में बहुत कठिनाई माना है। गांधी जी ने कहा है कि प्रत्येक से अपने आप त्याग की कहना बहुत असंभव है। जैसा कि शरीर, पत्नी और बच्चे अपने आप में अधिकार हैं इनसे किसी को भी अलग करना बहुत कठिन है। इस प्रकार गांधी जी ने कहा था कि अपरिग्रह का सिद्धान्त व्यवहार में पूरी तरह अपनाना असंभव था।

प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार से जुड़ा हुआ है यहां तक की गांधी जी भी। उनके दादा जी उत्तमचन्द्र गांधी अपनी आधी आय का हिस्सा अनेक धर्मार्थ संस्थाओं को देते थे। वे बहुत दयालु थे। उन्होंने अपने दोनों बेटों के विवाह में मिले उपहारों को भी पोरबन्दर के शासक को दान में दे दिया था। इस प्रकार के त्याग का व्यवहार करते हुए काबा गांधी, गांधी जी के पिता ने अमीरों की तरह धन इकट्ठा करने की ओर कभी ध्यान नहीं दिया। उनकी पत्नी पुतलीबाई उत्सुकतापूर्वक सेवा करने वाली भारतीय महिला थी। काबा गांधी ने कभी भी जमीनी सम्पत्ति और पैसा इकट्ठा करने की कोशिश नहीं की। एक बार जब राजकोट के ठाकुर ने उन्हें रहने के लिए जगह चुनने को कहा तो उन्होंने चार सौ वर्ग फुट की जगह को ही स्वीकार किया। काबा गांधी अपने परिवार के सदस्यों का ही पोषण नहीं करते थे बल्कि बहुत से अतिथियों का भी पोषण करते थे। इसका अनुभव करते हुए प्यारे लाल लिखते हैं कि काबा गांधी का बहुत बड़ा परिवार था उनके अतिथि जो उनके साथ भोजन करते थे कभी भी 20 से कम नहीं होते थे वे केवल

¹⁷ प्यारेलाल, एम.के. गांधी-दी-इरलीएज, नवजीवन पब्लिशिंग हाऊस, अहमदाबाद, 1958, पृ. 192

उनके ही परिवार के नहीं बल्कि दूसरे परिवारों से भी होते थे।¹⁸

इसी प्रकार के संस्कार गांधी जी के हृदय में जमाये हुए थे। एक बार उसने अपने भाइयों से दुख व्यक्त किया कि वे अपने परिवार की आर्थिक सहायता करने में असमर्थ हैं। वे अपनी बचत को समाज के लाभ के लिए लगाने के समर्थक थे। अपने भाई के तर्क पर उन्होंने कहा कि मैं ठीक वही कर रहा हूँ जो हमारे पिता जी ने किया है इसमें कुटुम्ब का अर्थ थोड़ा खुला हुआ है और मेरे कदम आत्मा के उचित रास्ते पर चलने चाहिए।¹⁹ इस प्रकार परिवार की गरीबी का प्रभाव भी गांधी को उत्साहित किया।

स्नेल की समानता के अनुसार सम्पत्ति का कानूनी मालिक सम्पत्ति रखता है। उसे अपनी सम्पत्ति को त्यागने की आवश्यकता नहीं है परन्तु वह इसे दूसरों के लाभ के लिए रखता है इससे आर्थिक सिद्धान्त का आभास होता है। स्नेल के विचार प्रो. केटन के विचारों से मिलते हैं। प्रो. केटन के अनुसार, “न्यास एक सम्बन्ध है जो उदय होता है जब एक न्यास धारित व्यक्ति सम्पत्ति रखता है वह सम्पत्ति चाहे व्यक्तिगत, कानूनी और समानता से अर्जित हो, परन्तु उस सम्पत्ति का वास्तविक लाभ न्यास धारित व्यक्ति को न मिलकर अन्यो को या न्यास के उद्देश्यों को मिलना चाहिए।” गांधी जी ब्रिटिश कानूनों विशेषतया स्नेल की समानता के विचारों का अध्ययन कर रहे थे तब वे मालिकाना व्यवस्था को समझने के योग्य हो गए थे। अपने इस अनुभव को संक्षेप में गांधी जी ने लिखा है, “मेरे ब्रिटिश कानूनों के अध्ययन ने स्नेल की समानता के सिद्धान्त को मेरे मस्तिष्क में बिठाने में मदद की।²⁰

रास्किन की ‘अन टू दिस लास्ट’ नामक रचना ने गांधी जी को अत्यधिक प्रभावित किया क्योंकि इसमें सामाजिक न्याय और अनुराग (स्नेह) के बारे में लिखा है। यह बलिदान और सन्यास के सिद्धान्तों पर जोर देती है। अपनी इस अविस्मरणीय रचना में रास्किन ने प्रत्येक के लिए अलग अलग कार्य निर्धारित किए हैं। सिपाहियों को रक्षा करनी चाहिए, विद्वानों को शिक्षा देने का कार्य, डाक्टरों को समाज के अच्छे स्वास्थ्य का कार्य, वकील को न्याय का कार्य और व्यापारियों को समाज को आवश्यक वस्तुएँ उपलब्ध कराने के कार्य करने चाहिए। अपने कर्तव्यों के पालन के लिए प्रत्येक को मर मिटने के लिए तैयार रहना चाहिए। अपने उचित कार्य को सम्पत्ति की अपेक्षा

अधिक महत्व देना चाहिए। रास्किन दावे के साथ कहता है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्तव्य के निर्वाह के लिए उचित अवसर पर मर-मिट जाना चाहिए।²¹ सन्यास की कोई भी मात्रा मनुष्य को किसी काम के लिए आकर्षित नहीं करती। यह मनुष्य जीवन का उद्देश्य नहीं है। विशेषकर वह व्यापारी वर्ग को सस्ती कीमत पर शुद्ध वस्तुएँ प्रदान करने की चेतावनी देता है। व्यापारियों के कर्तव्यों को वर्णित करते हुए रास्किन कहता है कि जैसे किसी दुर्घटना के समय जहाज का कप्तान अन्तिम मनुष्य के जहाज छोड़ने तक जहाज पर रहता है और अपना अन्तिम साँस तक यात्रियों पर न्यौछावर कर देता है।²²

अकाल के समय उत्पादक को किसी भी व्यापारिक घाटे को सहन करते हुए अपने व्यक्तियों के साथ अधिक से अधिक समाज की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए। जिस प्रकार एक पिता तूफान में घिरे हुए जहाज और लड़ाई के मैदान में अपने पुत्र के लिए अपना बलिदान देता है। सामाजिक अनुराग और न्याय के सुझाव देने के बावजूद भी रास्किन समानता का गौरव विजेता नहीं था। उसने इसे अपनी रचनाओं में स्वीकार किया है कि समानता के सिद्धान्त पर ही सामाजिक जीवन का आधार टिका हुआ है। उसने निरीक्षण किया कि मैं सम्पत्ति के बंटवारे के सामाजिक सुझावों को न अपना रहा हूँ और न दूसरों से इसके लिए कृपा दृष्टि माँग रहा हूँ। सम्पत्ति का बंटवारा इसका अन्त करना है और इसके साथ ही सभी की सभी आशाओं, उद्योग धन्धों और न्याय का अन्त करना है। शक्तिशाली व्यक्ति अपनी सम्पत्ति को रखते हुए दूसरों की शक्ति से आहत नहीं होता है परन्तु इसके अनुचित तरीके से प्रयोग करने से आहत होता है जबकि समाजवादी अमीरों के अन्त के पक्ष में हैं। रास्किन अमीर व्यक्ति को अपने धन का अच्छे कार्यों के लिए प्रयोग करने की शिक्षा देता है। वह पूरी तरह से मनुष्य जाति की भलाई में धन के प्रयोग के पक्ष में है। इसके कहने का अर्थ यह है कि रास्किन कमाने वाले व्यक्तियों को सजा के पक्ष में नहीं है वह तो इस तरह के सुधार के पक्ष में है जिससे वह समाज के कमजोर वर्ग की रक्षा कर सके।²³

टालस्टाय एक विचारक और दार्शनिक है। उन्होंने अनुभव किया कि मनुष्य जीवन का अर्थ और महत्व सभी जीवित प्राणियों में अधिक से अधिक एकता की स्थापना करके सारे संसार की सेवा करने में है। प्रत्येक को अपने परिवार अपने राज्य और सारे संसार के लिए अपना कर्तव्य निभाना चाहिए।

¹⁸ मोहनदास कर्मचन्द गांधी, पूर्वोक्त-5, पृ. 229

¹⁹ वही, पृ. 228

²⁰ मोहनदास कर्मचन्द गांधी, सर्वोदय, सस्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन, नई दिल्ली, 1998, पृ. 26

²¹ वही, पृ. 29

²² वही, पृ. 25

²³ वही, पृ. 25

वह धन को इकट्ठा करने के विरुद्ध है। वह दूसरों को जितना उनके पास है उससे अधिक देने के पक्ष में है। टालस्टाय जानता है कि इस प्रकार का कार्य व्यवहार बहुत कठिन है। क्या तुम सम्भव हो सके उतना अच्छा कार्य करोगे। अगर आप जो कार्य करना चाहते उतनी शक्तियाँ, योग्यता आपके पास या नहीं है। आप एक परिवार की आय के ऊपर निर्भर सदस्यों और पूर्वजों से बंधे हैं। टालस्टाय ने पूंजिपतियों को ये नहीं कहा कि वे अपने कारखाने तथा पूंजि श्रमिकों को दें दें और न ही उसने भूमिपतियों को अपनी भूमि से अलग होने को कहा है। वे चाहते थे कि पूंजिपति अपने व्यवहार में परिवर्तन लाए। वे चाहते थे कि पूंजिपतियों को सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का पालन करते हुए समस्त मानव जाति की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए। इस प्रकार टालस्टाय पूंजिपतियों से गरीबी को दूर करने के लिए अपने पूर्ण सहयोग की आशा करता है।

व्यक्ति और समाज का जीवन उतरोत्तर विकसित और समृद्ध हो उस दृष्टि से सभी धर्मों ने अपना-अपना नीतिशास्त्र बनाया है। गांधी जी इन मौलिक लिक मूल्यों को अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य आदि ग्यारह व्रतों के रूप में प्रस्तुत किया और इसको नित्य की प्रार्थना का अंग बनाया। आर्थिक विचार में इन तत्वों का समावेश है और संरक्षकता की व्याख्या तथा व्यावहारिक स्वरूप प्रस्तुत करते समय इन व्रतों के आधार पर इसकी भावना का ध्यान रखना नितान्त आवश्यक है।

गांधी जी के दर्शन में तीन मौलिक सिद्धान्त ईश्वर, सत्य और अहिंसा को अब्दसम्बन्धित पाते हैं। मनुष्य स्वभाव से अहिंसक है परन्तु उसका रहन-सहन स्पष्ट करता है कि उसका जीवन हिंसा और अहिंसा के बीच घिरा हुआ है। इतिहास दर्शाता है कि मनुष्य प्यार और अहिंसा के मूल्यों को स्थापित करके ही विकसित हुआ है। इन्हीं के आधार पर मनुष्य का सामाजिक जीवन व्यतीत कर रहा है। मनुष्य सामाजिक जीवन को शक्तिशाली बनाने के लिए अपने राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, शिक्षा और संस्कृति सम्बन्धित कार्यों में लगातार नैतिकता को बढ़ाने का प्रयत्न कर रहा है। अहिंसा मौलिक मूल्य बन गया है। क्योंकि यह जीवन की सभी दिशाओं में अनुशासन लाता है। गांधी जी के दर्शन में साधन साध्य में कोई भेद नहीं है। अहिंसा एक साथ साध्य और साधन के रूप में कार्य कर रही है। गांधी जी के अनुसार सत्य का अनुसरण करना और सत्य की स्थापना करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। उनका पूर्ण विश्वास था कि मनुष्य जीवन का पूर्ण लक्ष्य सत्य की प्राप्ति है। वे किसी के भी व्यक्तिगत जीवन को बचाने के लिए सत्य का बलिदान करने के पूर्णतया विरुद्ध थे। गांधी जी कहते हैं, “पत्नी, बच्चे, मित्र और अधिकार सभी सत्य से कम

उपयोगी मानने चाहिए। इनमें से प्रत्येक का सत्य की खोज के लिए बलिदान कर देना चाहिए।”²⁴

साधारणतया अहिंसा किसी को नहीं मारने के लिए प्रयुक्त अर्थ है। वैदिक समय से आज तक यह उच्चतम गुण माना गया है। किसी को नहीं कारना अहिंसा का नकारात्मक पहलू है। गाँधी जी लिखते हैं कि हिंसा का अर्थ किसी को कष्ट देने या किसी का जीवन नष्ट करने से है जो क्रोध से स्वयं के स्वार्थ से या किसी को घायल करने के इरादे से होता है। इन सबसे दूर रहना अहिंसा है। अपने समारात्मक अर्थ में यह अत्याधिक प्यार और दयालुता के लिए है। यह आत्मिक बल है। यह आवश्यकता रूप से बुराई और भय से रहित है।²⁵

गांधी जी डरपोक की निष्क्रिया अहिंसा को पसन्द नहीं करते। उन्होंने डरपोकपन को हिंसा से भी अधिक घातक बुराई माना है। इसलिए वह कहता है कि ये दोनों साथ-साथ नहीं चल सकते। गांधी जी का अहिंसा का सिद्धान्त बदला लेने की भावना के विरुद्ध अधिक सक्रिय और वास्तविक लड़ाई है। अहिंसा को अपनाने से मनुष्य में साहस और सदबुद्धि का प्रवेश होता है। वह बच्चे, बूढ़े और नौजवानों सभी को अहिंसा का पालन करने की बात करता है। गांधी जी के संरक्षकता के सिद्धान्त का मूल विचार भी अहिंसा में ही निहित है। संरक्षकता अहिंसक क्रान्ति लाने का साधन और साध्य दोनों हैं। इसी कारण गांधी जी ने इस सिद्धान्त को अन्य सिद्धान्तों से अधिक महत्व दिया है। वे कहते हैं कि एक अहिंसा का पुजारी संग्रह वृत्ति से दूर रहता है। प्रत्येक प्रकार संग्रह शोषण पर आधारित होता है जो कि हिंसा की ही एक किस्म है। संग्रहवृत्ति दूसरों की कमसे कम जरूरतों को भी पूरी नहीं होने देती। इस प्रकार अहिंसा के माध्यम से संग्रह की प्रवृत्ति दूर हो सकती है।²⁶

गांधी जी रोटी के लिए श्रम को सभी के लिए जरूरी मानते हैं। यह बात गांधी जी के मन में टोलआय का एक निबन्ध पढ़ने से पैदा हुई। वे आगे कहता है कि इस सिद्धान्त पर अमल तो मैं रस्किन का लेख ‘अन टू दिस लास्ट’ पढ़कर करने लगा। गाँधी जी कहता है कि प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति को अपने भोजन के लिए पर्याप्त मेहनत करनी चाहिए। वे कहते हैं कि जो मेहनत करता है वह अपनी रोटी के लिए वैद्य अधिकार प्राप्त करता है। वे इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि शरीरिक और बौद्धिक योग्यताएँ प्रत्येक व्यक्ति में अलग-अलग होती

²⁴ सुरिन इन्दिरा, पूर्वोक्त-7, पृ. 43

²⁵ यंग इन्डिया, 4 नवम्बर, 1926, पृ. 385

²⁶ प्यारे लाल, महात्मा गांधी पूर्णाहुति (चतुर्थ

खण्ड), नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, 1943, पृ. 281

है परन्तु किसी को इसका नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। इस प्रकार कोई भी राष्ट्र कार्य के बिना उन्नति नहीं कर सकता। गांधी जी ने घोषणा की कि प्रत्येक कार्य नगद सिक्का है धातु नहीं। उसने निरीक्षण किया कि मनुष्य निसन्देह अनेकों कार्य अपने शरीर और दिमाग से करता है परन्तु ये सभी कार्य दूसरों की भलाई करने वाले होने चाहिए। समाज के ढाँचे में एक मूक क्रान्ति रोटी-श्रम के सिद्धान्त का पालन करके लाई जा सकती है। जिससे समाज में गरीबी, बिमारी और असन्तुलन समाप्त हो जाता है।²⁷

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. अग्रवाल, सुरेन्द्र प्रसाद, "महात्मा गांधी, विचार विधिका", कान्सेट पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली, 2017
2. अग्रवाल, अलका एवं "गांधी दर्शन (विविध आयाम)", पोइन्टर अग्रवाल, शिखा पब्लिशर्स, जयपुर, 2015
3. अय्यर, राघवन, "दि मोरल एण्ड पोलिटिकल वार्निंग ऑफ महात्मा गांधी", कलारदन प्रैस, आक्सफोर्ड, 1997
4. आनन्द, वाई.पी., नॉन-वायलंस इन ए वायलंस वर्ड ए गान्धीयन रीसर्पोस", गांधी स्मृति एण्ड दर्शन समिति, न्यू दिल्ली, 2015

Corresponding Author

Karamvir Singh*

Extension Lecturer, Department of Political Science,
S.M.S.D. Government College, Nangal Chaudhary

karamvirsingh949@gmail.com

²⁷ महात्मा गांधी, मंगल-प्रभात, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर
प्रकाशन, अहमदाबाद, 1958, पृ. 41